2020 का विधेयक संख्यांक 61

[इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राईवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2020 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अध्याय 2

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 का संशोधन

धारा 41 का संशोधन ।

2. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 41 की उप-धारा (3) में, "निर्वाचित" शब्दों के स्थान पर, दोनो जगहों जहां वे आते है "नामनिर्दिष्ट" शब्द अंत:स्थापित जाएंगे । 2014 का 30

अध्याय 3

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राईवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन

2017 के अधिनियम 23 की अनुसूची का संशोधन ।

3. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राईवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 में,—

(क) क्रम सं0 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2क.	बिहार	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होने पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर ।";

(ख) क्रम सं0 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3क.	गुजरात	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होने पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत।";

(ग) क्रम सं0 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7क.	कर्नाटक	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी	भारतीय सूचना

		का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होने पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचुर	संस्थान, रायचुर	प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचुर ।";

(घ) क्रम सं0 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8क.	मध्य प्रदेश	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होने पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल ।";

(ड.) क्रम सं0 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13क.	त्रिपुरा	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होने पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला ।"।

उद्देश्य और कारणों का कथन

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राईवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी में नये ज्ञान का विकास करने की दृष्टि से और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में वैश्विक मानकों के अनुरूप जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए, पब्लिक-प्राईवेट भागीदारी के अधीन स्थापित कतिपय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्ता के संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए तथा ऐसी संस्थाओं से संबंधित या उनसे आनुषंगिक कतिपय विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. उक्त अधिनियम, पब्लिक-प्राईवेट भागीदारी की रीति में बीस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने के लिए, सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में, अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम के अधीन, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की रुप में, पंद्रह ऐसे संस्थान निगमित किए गए थे । सरकार ने पांच और संस्थानों को सम्मिलित करने का विनिश्चय किया है, जो तत्पश्चात् सोसाइटियों के रुप में भागलपुर (बिहार), सूरत (गुजरात), रायचुर (कर्नाटक), भोपाल (मध्यप्रदेश) और अगरतला (त्रिपुरा) में स्थापित किए जा चूके हैं, उक्त अधिनियम के क्षेत्र के भीतर भी राष्ट्रीय महत्ता के संस्थान है ।

3. प्रस्तावित विधान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 41 की उपधारा (3) में प्रत्यक्ष गलती में सुधार करने का भी उपबंध करता है, जिससे स्पष्टता के लिए "निर्वाचित" शब्द के स्थान पर "नामनिर्दिष्ट" शब्द रखा जा सकें ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 फरवरी, 2020

रमेश पोखरियाल 'निशंक'

वित्तीय ज्ञापन

पांच संस्थान, जिन्हें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राईवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है, को सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में बचत सहायता पहले ही प्रदान की जा रही है ।

2. विधेयक में कोई अन्य अतिरिक्त आवर्ती या गैर-आवर्ती प्रकृति का व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 30) से उद्धरण

* * * * *

41. (1) * * * * परिषद् के सदस्यों की पदावधि और उनको संदेय भत्ते ।

(3) धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह उस सदन का, जिसमें वह निर्वाचित हुआ था, सदस्य नहीं रहता है, समाप्त हो जाएगी ।

* * * * *

MGIPMRND—5485LS(CRC)—27-2-2020.